

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सायला

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती गोमती शर्मा आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या 38 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये तहसीलदार सायला तहसील सायला जिला जालोर		श्री मादूराम वल्द जूठाराम वगैरह कौम पुरोहित निवासी भूण्डवा

प्रार्थनापत्र राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती

उपस्थित- 1. सरकारी पैरोकार (तह0 सायला) प्रार्थी की ओर से

आदेश

दिनांक 20/5/19

संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार है कि डीआईएलआरएमपी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत वन टू वन मैपिंग के दौरान जांच में जमाबन्दी एवं नक्शे में उपलब्ध खसराओं के मिसमेच होने पर सैटलमेंट के दौरान हुई गलतियां पाई गई जिसे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत शुद्ध किये जाने बाबत यह है कि ग्राम भूण्डवा की मिसल बन्दोबस्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 707/883 रकबा 0.01 है, उका वल्द झूठा 1/2 नादू वल्द झूठा 1/2 कौम पुरोहित सा.देह खातेदार के रूप में दर्ज है एवं तदनुसार जमाबन्दी संवत् 2069-72 में भी उक्त खसरा नम्बर 707/883 रकबा 0.01 है, में मादूराम वल्द जूठाराम पुरोहित रहन एमजीबी मेंगलवा दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 707/883 पटवारी के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा, तहसील में उपलब्ध मोभीया ट्रेस एवं शीट में भी अंकित नहीं है। मौके पर पृथक से बेरा खुदा हुआ है जो उक्त खसरा नम्बर का होना पाया गया है अतः उक्त खसरा नम्बर की तरमीम संलग्न प्रस्ताव के अनुसार किया जाना उचित है। चूंकि उक्त खसरा नम्बर शीट में नहीं है, जो सैटलमेंट की गलती है लिहाजा प्रकरण राजस्थान भू राजस्व नियम 1956 के तहत दर्ज कर नियमानुसार शीट एवं लट्ठा में खसरा नम्बर 707/883 दर्ज किये जाने हेतु आदेशित करावें ताकि तरमीम की जा सके।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी सह खातेदार को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ व अप्रार्थी द्वारा ग्राम भूण्डवा के खसरा नम्बर 707/883 रकबा 0.01 है, आई हुई जो राजस्व नक्शे में दर्ज नहीं है उक्त खसरा नम्बर को प्रस्तावित अनुसार नक्शे में तरमीम किया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

तहसीलदार सायला, भू.अ. निरीक्षक एवं संबंधित पटवारी हल्का के संयुक्त हस्ताक्षररार्थ से अपनी जांच रिपोर्ट एवं उपर्युक्त प्रार्थना पत्र व प्रार्थीगण का सहमती पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया है कि ग्राम भूण्डवा की मिसल बन्दोबस्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 707/883 रकबा 0.01 हे., उका बल्द झूठा 1/2 मादू बल्द झूठा 1/2 कौम पुरोहित सा.देह खातेदार के रूप में दर्ज है एवं तदनुसार जमाबन्दी संवत् 2069-72 में भी उक्त खसरा नम्बर 707/883 रकबा 0.01 हे. में मादूराम बल्द जूठाराम पुरोहित रहन एमजीबी मंगलवा दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 707/883 पटवारी के पास उपलब्ध नक्शा लट्टा, तहसील में उपलब्ध मोमीया ट्रेस एवं शीट में भी अंकित नहीं है। मौके पर पृथक से बेरा खुदा हुआ है जो उक्त खसरा नम्बर का होना पाया गया है अतः उक्त खसरा नम्बर की तरमीम संलग्न प्रस्ताव के अनुसार किया जाना उचित है। चूंकि उक्त खसरा नम्बर शीट में नहीं है, जो सैटलमेंट की गलती है प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार सायला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 707/883 रकबा 0.01 हे. को नक्शे में दर्ज किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई। हमने पत्रावली, तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दरतावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। हम तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट से सहमत हैं तथा तहसीलदार की जांच व अनुशंषा अनुसार संलग्न नक्शा अनुसार सरहद मोजा भूण्डवा के खसरा नम्बर 707/883 रकबा 0.01 हे... को नक्शे में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाकर सरहद मोजा भूण्डवा के खसरा नम्बर 707/883 रकबा 0.01 हे. को संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार नक्शे में दर्ज किया जाने के आदेश दिए जाते हैं। संलग्न नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। रेकॉर्ड में दुरुस्ती हेतु तहसीलदार सायला को तहरीर जारी हों।

आदेश दिनांक 20/5/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(गोमती शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सायला